

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
70/23	212 RTA Atc	किशोरपुरा	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कमलेश यादव	बनाम	लक्ष्मी बाई

वकील :- राकेश कुमार गालव **आदेश पत्रक** वकील:-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश

1-11-23
अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 7-12-23 को पेश हो।

[Handwritten Signature]

7-12-23 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में अस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7-2-24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

7-2-24 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में अस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27-3-24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

27.3.24 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में अस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20.5.24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

20.5.24 पत्रावली पेश हुई। वकील श्री उषा जट्टी व श्री राजेश कुमार की लक्ष्मी बाई लक्ष्मी पेश करे। पत्रावली वाले लक्ष्मी दिनांक 27.24 को पेश हो।

2-7-24 पत्रावली पेश हुई। वकील श्री उषा जट्टी व श्री राजेश कुमार की लक्ष्मी हेतु Reg. AD का लक्ष्मी पेश करे। पत्रावली वाले लक्ष्मी दिनांक 21.8.24 को पेश हो।



दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

21.8.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी 350/ वकील
पार्थी प्रकरण के आगे कोई कार्यवाही नहीं
चाहते हैं। वकील पार्थी के प्रकरण Not press
किया है। प्रकरण Not press के खारिज किया
जाला है। पत्रावली में केशव शुभार डोलार का
लालि लाली के संविद संतर है।

Not
Newly
Case